

2023/734

"न्याय आपके द्वार"  
राजस्व लोक अदालत  
2016

235  
23

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
चित्तौड़गढ़

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के सम्बन्ध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

अनुवांन श्री देवीलाल पिता/पति लालू  
बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनुवांन में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी देवीलाल  
पिता लालू गुजर नि दमदमा के/के/हैं।  
मेरे/हमारे पते सैमलपुर के राजस्व ग्राम दमदमा में खाता संख्या  
8,40,43,44 कित्ता 5,4,19,4 रकबा 1.23 है। भूमि दर्ज रिकार्ड है जिसमें  
मेरी/हमारी जाति/नाम देवीमा दर्ज है जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप  
में देवीलाल दर्ज करवाना चाहते हैं/चाहते हैं।  
अतः मेरी/हमारी जाति/नाम देवीमा के बजाय देवीलाल दर्ज  
करवाने की कृपा करावे।  
दिनांक 03/05/2023



प्रार्थी/व.अ.स्य  
नि. देवीलाल

रिपोट पटवारी हलका सैमलपुर  
महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री देवीलाल पिता लालू  
नि दमदमा राजस्व ग्राम दमदमा पते सैमलपुर की जमाबन्दी संवत् 2079  
प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में देवीलाल दर्ज करवाना  
चाहते हैं/चाहते हैं। दोनों जातियाँ एक ही श्रेणी की हैं/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के  
हैं। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः संशोधन किया जाना  
उचित है।

Cup  
हस्ताक्षर पटवारी

Deep  
हस्ताक्षर भ.अ.स.स.स.स.स.  
3/5/23